UPGK010053792026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्र०नि०अधि०) कोर्ट सं०-2 गोरखपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-2370/2026

पिंकी मिश्रा पत्नी चिन्तामणि मिश्रा, उम्र लगभग 54 वर्ष, साकिन-भोरहिया, थाना-सहजनवां, जिला-गोरखपुर। **.....आवेदिका/अभियुक्ता**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **.....विपक्षी**

मु०अ०सं०-390/2025

धारा-340(2),336(3),338,318(4),319(2) बी०एन०एस०

थाना-सहजनवां, जनपद-गोरखपुर।

1. आवेदिका/अभियुक्ता पिंकी मिश्रा की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-2370/2026 मु०अ०सं०-390/2025 अंतर्गत धारा-340(2),336(3),338,318(4),319(2) बी०एन०एस० थाना-सहजनवां, जनपद-गोरखपुर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ आवेदिका/अभियुक्ता के द्वारा शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है और न ही लम्बित है।

2. अग्रिम जमानत हेतु संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा चिंतामणि मिश्र द्वारा दिनांक 11.07.2025 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि प्रार्थी तथा मेरे स्व० भाई रामनारायण मिश्र का एक गाटा सं०-282 ग्राम भरोहिया परगना हसनपुर मगहर तहसील सहजनवा जनपद गोरखपुर में स्थित है, जिसपर मेरे भाई के स्वर्गीय होने के पश्चात उनकी धर्मपत्नी तथा उनके तीनों पुत्रों के नाम व मेरा नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज चला आ रहा है। दिनांक 12.06.2025 लोगों द्वारा सूचना दिया कि लेखपाल महोदय मेरे खेत पर पैमाइस कर रहे है। लेखपाल महोदय से खेत पर पैमाइस करने का कारण पूछा तो लेखपाल महोदय के साथ आये अवैधनाथ चौबे के द्वारा बताया गया कि उपरोक्त गाटा संख्या की भूमि का 1/2 हिस्सा दिनांक 24.01.2025 को वही संख्या 1 जिल्द सं०-5030 के पृष्ठ सं०-4764 तक क्रमांक 426 पर उपनिंधक सहजनवा के कार्यालय में पंजीकृत हुआ था। एक और गाटा सं०-316 का भी विक्रय विलेख निष्पादित कराया है। उसके उपरांत मेरे द्वारा उक्त जमीन का खारिज दाखिल भी करा लिया गया है। जब मैं अवैधनाथ चौबे से कहा कि यह मेरी जमीन है और मैंने किसी के पक्ष में कभी भी कोई भी विक्रय विलय निष्पादित नहीं किया है यह सब बाते सुनकर अवैधनाय चौबे काफी परेशान हो गए और जब मेरे द्वारा उनसे पूछा गया कि उक्त जमीन का जिससे आप विक्रय विलेख निष्पादित कराये है उस व्यक्ति का या उसके किसी परिवार का कोई फोटो या पहचान पत्र

आपके पास उपलब्ध है, उस पर अवैधनाथ चौबे ने कहा कि मेरे पास उनका और उनकी पत्नी का फोटो व आधार कार्ड है, जोकि वर्तमान में मेरे मोबाइल में मौजूद है। प्रार्थी तथा मेरे गाँव के लोगों ने फोटो देखा तो हक्का बक्का रह गये, क्योंकि जो फोटो मैं विक्रेता के रूप में व्यक्ति था वह मेरे ही गाँव का चिंतामणि व उसकी पत्नी पिंकी मिश्रा का था, जोकि अपने आधार में कूट रचना करके चिंतामणि बनकर रजिस्ट्री किया है, जिसमें उसकी पत्नी का पूर्ण सहयोग है। उनके द्वारा उक्त जमीन का विक्रय विलेख कर दिया गया है, क्योंकि उक्त दोनों पति-पत्नी काफी शातिर किश्म के अपराधी हैं।

3. दौरान बहस आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदिका/अभियुक्ता निर्दोष है उसने कोई अपराध कारित नहीं किया, महज रंजिशन हैरान व परेशान करने की नित से अभियुक्त बनायी गयी है। आवेदिका/अभियुक्ता विक्रय पत्र हासिया गवाह है और कोई भूमिका आवेदिका/अभियुक्ता की नहीं है। आवेदिका/अभियुक्ता लगभग 54 वर्षीय प्रौढ़ महिला है, उसके पास दो बच्चे 11 व 13 वर्ष के है, जिसकी देखभाल पूर्णतया आवेदिका/अभियुक्ता पर निर्भर है। आवेदिका/अभियुक्ता के जेल जाने से उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा किसी प्रकार की कूटरचना कारित नहीं की गयी है, न ही कोई कूटरचित दस्तावेज तैयार किया गया है, न ही किसी प्रकार का कूटरचित दस्तावेज का प्रयोग किया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, न ही आवेदिका/अभियुक्ता के फरार होने की संभावना है। आवेदिका/अभियुक्ता विचारण में पूर्ण सहयोग करेगी। उक्त कथनों के आधार पर आवेदिका/अभियुक्ता को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदिका/अभियुक्ता ने अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर कूटरचना व षड़यन्त्र करके वादी मुकदमा की दो जमीन गाटा संख्या-282 व गाटा संख्या-316 का विक्रय कर दिया। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

5. मैंने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट व केस डायरी का परिशीलन किया जिससे विदित है कि अभियुक्ता पिंकी मिश्रा के पति मुख्य अभियुक्त चिंतामणि मिश्रा अपनी वल्दियत बदलकर अपनी पत्नी सह अभियुक्ता पिंकी मिश्रा के साथ षड़यन्त्र कारित करते हुए चिंतामणि मिश्र पुत्र स्व० कल्पनाथ मिश्रा के दो जमीन गाटा संख्या-282 व गाटा संख्या-316 का विक्रय कर दिया। जबकि उक्त जमीन सह अभियुक्त चिंतामणि मिश्रा पुत्र स्व० भागीरथी के स्वतः की नही रही है। यद्यपि अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्ता मात्र कथित विक्रय विलेख की हसिया गवाह है परन्तु इसके विपरीत अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कथित कूटरचना व षड़यन्त्र के तहत दूसरे के जमीन का विक्रय किये जाने का तथ्य अभियुक्ता के संज्ञान में रहा है। अभियुक्ता कथित क्रेता से एक लाख रूपये अपने खाते में प्राप्त की है तथा पढ़ा-लिखी महिला होने के साथ समस्त कूटरचना व षड़यन्त्र की जानकारी रही है। मामले में अभी

विवेचना प्रचलित है एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही किया जाना शेष है। यदि आवेदिका/अभियुक्ता को अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया तो वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

7. वर्तमान मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुण-दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा करने का आधार पर्याप्त नहीं है। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका/अभियुक्ता पिंकी मिश्रा की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक-02.07.2026

(राकेश कुमार-VII)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(भ्र०नि०अधि०) कोर्ट सं०-2, गोरखपुर।
J.O. Code-UP1583

Digitally signed by RAKESH KUMAR
Date: 2026.07.02 17:07:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court